फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

मिठू बनाम कजोड़

मुकदमा संख्या / वर्ष : 128 / 2011

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		पर आवश्यक रूप से बहस करें। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/12/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	13/12/2022	पत्रावली आज दिनांक 13/12/2022 को पेश हुई। दि डिस्ट्रिक्ट एड. बार एसो. जयपुर द्वारा कन्डोलेन्स की जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/12/2022 को पेश हो।	
	23/12/2022	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। बहस हेतु समय चाहा। आ. ता. पेशी पर आवश्यक रूप से बहस हेतु न्यायहित में समय दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 9/1/2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	9/1/2023	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय ~~कानून व्यवस्था~~/प्रोटोकॉल ड्यूटी पर पधारे हुए है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/1/2023 को पेश हो।	
	16/1/2023	पत्रावली प्रस्तुत। व. के. उप.। उभयपक्ष की पुनः बहस सुनी गई। वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	इत्तिलायी प्रति सं-1 16/1/23

न्यायालय :– सहायक कलेक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 128 / 2011 वाद प्रस्तुति दिनांक – 19.07.2011

1. मिट्ठू राम पुत्र शंकर लाल, जाति यादव, निवासी सिरसली, तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. कजोड़ पुत्र शंकर, जाति यादव, निवासी सिरसली, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक महोदय, आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार आमेर।
4. प्रभाती देवी पत्नी कानाराम, जाति अहीर, निवासी सिरसली, तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा – 88 एवं 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955</u>

दिनांक 16.01.2023

उपस्थिति :– (1) अधिवक्ता श्री बंशीधर जाट – वादी की ओर से
(2) अधिवक्ता राजेश रोहिला – प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से।

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है, वादीगण ने वाद पत्र में अंकित यह किया गया है कि वाके राजस्व ग्राम सिरसली भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नंबर 1140/2 रकबा 1.20 है0 खसरा नंबर 1140/4 रकबा 2.08 है0 कुल किता 2 रकबा 3.28 है0 की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है ,जबकि उक्त आराजीयात मृतक शंकर लाल पुत्र बालूराम यादव की है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को वाद पत्र के आगे के मदों में भूमि विवादग्रस्त से संबोधित किया गया है। विवादित आराजीयात जिसका विवरण वाद पत्र के मद सं0 1 में किया गया है, मृत शंकर पुत्र बालूराम की भूमि है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

मृतक शंकरलाल की संपत्ति व कृषि भूमि में वादी का जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, परंतु प्रतिवादी सं0 1 द्वारा उक्त विवादित आराजीयात का नामान्तरण स्वयं के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाली जिसका कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वर्णित प्रावधानों के अनुसार जन्म से ही अधिकार प्राप्त है, तथा वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में 1/2 का हिस्सा का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवाये इस कारण यह वाद बाबत घोषणा, खातेदारी अधिकारो का मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र मद संख्या 1 में वर्णित आराजीयात वाद की पैतृक भूमि है, जिस पर अपने पिता के जीवनकाल से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा वादी को यह अधिकार प्राप्त है कि वो प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये इस कारण यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 11.6.2015 को जवाब पेश किया जिसमे अंकित किया कि वाद पत्र का मद नंबर 1 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत होने पर अस्वीकार है वास्तविक तथ्य यह कि ग्राम सिरसली भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जाहोता तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नंबर 1140/2 रकबा 1.20 हैक्टेयर, व खसरा नंबर 1140/4 रकबा 2.08 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर, की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड में ना ही तो [illegible] प्रतिवादी के नाम ना ही प्रतिवादी संख्या 3 के नाम [illegible] उल्लेख [illegible] कथन में अंकित किया गया। वाद पत्र का मद नंबर 3 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत होने पर अस्वीकार है वास्तविक तथ्य यह कि वादी द्वारा प्रकरण के सही तथ्यों व राजस्व रिकार्ड की वास्तविक स्थिति को छुपाकर उक्त वाद मय प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा वाद पत्र के मद नंबर 2 में वर्णित आराजीयात कतई भी विवादग्रस्त नहीं है चूंकि वादी तो 5 वर्ष की उम्र में ही नाथू पुत्र स्व. लादू के गोद चला गया व स्व. नाथू ने ही वादी का

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

पालन पोषण किया तथा उक्त दत्तक के आधार पर स्व. नाथू की संपति का नामान्तरण भी वादी के नाम तस्दीक हो चुका है तथा स्व. नाथू की जायन्दा पुत्रियों द्वारा वादी को स्व. नाथू का पुत्र मानकर ही अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग वादी के नाम किया गया तथा ग्राम पंचायत से इस बावत वारिस नामा भी बनवाया गया तथा परिवार के राशन कार्ड व मतदाता सूची में वादी के पिता का नाम स्व. नाथू अंकित है तथा दिनांक 26.07.2011 को मिट्ठूलाल ने मिन प्रतिवादी के पक्ष में यह इकरार किया है कि उसका शंकर लाल की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा न तो था ना ही भविष्य में रहेगा तथा कानून दत्तक पुत्र का अपने प्राकृतिक पिता की संपत्ति में दत्तक जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं होता है। वाद पत्र का मद नंबर 4 जिस प्रकार से लिखा गया है गलत होने पर अस्वीकार है वादी का कतई भी मृतक शंकर की संपत्ति के जन्म से कोई हक व अधिकार नहीं है चूंकि वादी तो 5 वर्ष की उम्र में स्व. नाथू के गोद चला गया था तथा मिन प्रतिवादी शंकरलाल का जायन्दा पुत्र होने के कारण उसकी विरासत का नामान्तरण मिन प्रतिवादी के नाम तस्दीक हुआ है जो कतई गलत नहीं है।

प्रतिवादीगण का जवाब पेश होने पर दावे में निम्न विवाद्यक तनकी कायम की गई :—

1. आया विवादित आरजीयात हॉल खसरा नंबर 1140/2, रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1040/4 रकबा 2.08 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर, वाके ग्राम सिरसली तहसील आमेर, जिला जयपुर मृतक शंकर पुत्र बालूराम की भूमि हैं जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहित है ? ....वादी

2. आया विवादित आरजीयात में वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वर्णित प्रावधानों के अनुसार जन्म से अधिकार प्राप्त है वादी का 1/2 हिस्से का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकार है ? .... वादी

3. आया विवादित आराजीयात वादी की पैतृक भूमि है जिस पर उसके पिता के जीवनकाल से ही वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है वादी का

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ?

......................वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा नहीं हैं क्योंकि वादी पांच वर्ष की उम्र में ही नाथू के गोद चला गया व नाथू ने ही वादी का पालन पोषण किया तथा स्व. नाथू की संपत्ति का नामान्तरण भी वादी के नाम तस्दीक हो चुका है नाथू की पुत्रियों द्वारा वादी को स्व. नाथू का पुत्र मानकर ही अपने हिस्से की भूमि का हकत्याग वादी के नाम किया गया तथा ग्राम पंचायत से इस बाबत् वारिसनामा भी बनवाया गया परिवार के राशन कार्ड व मतदाता सूची में वादी के पिता का नाम स्व. नाथू अंकित है तथा दिनांक 26.07.2011 को मिट्ठू लाल ने मिन प्रतिवादी के पक्ष में ये इकरार किया है कि उसका शंकर लाल की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नहीं है ?

.................प्रतिवादी संख्या 1

5. आया वादी वाद पत्र में अंकित अनुतोष पानें का अधिकारी नहीं है ?

.................प्रतिवादी संख्या 1

तदुपरान्त वादीगण को दिनांक 17.08.2015 से साक्ष्य पेश करने हेतु कई अवसर दिये गये बावजुद पेश नहीं किये गये अतः दिनांक 11.11.2019 को साक्ष्य वादी का अवसर बंद किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य पेश करने पर दिनांक 28.02.2020 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा तनकीयात निम्नानुसार निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1 लगायत 6 सुविधा की दृष्टिकोण से एकसाथ निर्णित की जा रही है। वादी ने उक्त वाद में अपनी शहादत प्रस्तुत नहीं की है एवं इसी कारण वादी की साक्ष्य दिनांक 17.08.2015 को बंद की गई है, किसी भी प्रस्तुत वाद को निस्तारित करने हेतु

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

साक्ष्यों की अहम भूमिका होती है उक्त वाद में वादी को साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 17.08.2015 को साक्ष्य का अवसर बंद किया जा चुका है जिससे स्पष्ट होता है कि वादी अपने दावे के समर्थन मे आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाये है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1, 2 3 साक्ष्य के अभाव में वादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 1, 2, 3 वादी के विरुद्ध निर्णित होने से तनकी संख्या 4 व 6 स्वतः ही प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1, 2 3 वादी के विरुद्ध निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु॰ जयपुर

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु॰ जयपुर

प्रकरण संख्या — 128 / 2011
वउनवानी — मिट्ठू बनाम कजोड़ वगै0
निर्णय दिनांक — 16.01.2023

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी: सुनिल शर्मा
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या — 128 / 2011 वाद प्रस्तुति दिनांक — 19.07.2011

मिट्ठू राम पुत्र शंकर लाल, जाति यादव, निवासी सिरसली, तहसील आमेर जिला जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. कजोड़ पुत्र शंकर, जाति यादव, निवासी सिरसली, तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. उप पंजीयक महोदय, आमेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार आमेर।
4. प्रभाती देवी पत्नी कानाराम, जाति अहीर, निवासी सिरसली, तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा — 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम — 1955

दिनांक 16.01.2023

तनकी संख्या 1, 2, 3 वादी के विरुद्ध निर्णित होने से वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

आज मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.01.2023 को जारी किया।

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

[illegible]	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये
[illegible]	2 रुपये		स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये
[illegible]	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये
[illegible]			स्टाम्प बजह सबूत	
[illegible]			महन्ताना वकील	
[illegible]			खर्चा गवाहान	
[illegible]			फीस कमिश्नर	
[illegible]			खर्चा इजराय हुक्मनामा	
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक	4 रुपये
[illegible]	[illegible]		मीजान	